परा हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर माण्डल

20/6/24

पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थीगण उपस्थित, विपक्षीगण के सम्मन बाद तामील होकर रजि० व डिलेवरी रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शा० प० किया गया। विपक्षीगण अनुपस्थित, विपक्षीगण को कितनी मर्तबा रूक-रूक कर आवाजे दिलायी जाने के बाद भी अनुपस्थित। वकील प्रार्थीगण का प्रा० पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा० प० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2024.08.02 11:10:16 IST
Reason: SelfAttested

नम्बर व
अहकाम
हुक्म की
में जारी

राजस्थान –सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी– मनोज, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या – 217/24 प्रा०पत्र

श्री मूलचन्द s/o सजना कुमावत निवासी – छाजनोकारखेड़ा त० माण्डल (बागौर)

प्रार्थी

बनाम

श्रीमती सजनी देवी w/o मोहन कुमावत निवासी – छाजनोकारखेड़ा त० माण्डल (बागौर)
[संलग्नकित प्राप्पत्र सलंग्न]

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांकः– 20.6.24

::आदेश::

...की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि छाजनोकारखेड़ा पटवार हल्का करिया तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी न0 114 कुल किता 01 रकबा 0.8852 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

...त प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 07-06-24 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण ... अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का ...कारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए ...गंक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

...का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम छाजनोकारखेड़ा पटवार ...करिया तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 114 ... किता 01 रकबा 0.8852 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये ... हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक आलमास ... 500 रुपये/– कमिशनर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजुदगी में मौके व कब्जे ... यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर ...रगढी नहीं की जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2024.08.02 11:10:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपिः– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा